संख्या–2289 / बयालिस–2010–2(विविध) / 09

प्रेषक,

डा0 ललित वर्मा,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल,
खेल निदेशालय, उ0प्र0 ,लखनऊ।

खेलकूद अनुभाग लखनऊः दिनांक 30 अगस्त, 2010

विषयः– श्री अजय कुमार सेठी, कीड़ाधिकारी, आगरा को "परिनिन्दा" का दण्ड दिये जाने के संबंध में।

महोदय,

श्री अजय कुमार सेठी, कीड़ाधिकारी, आगरा द्वारा बगैर शासकीय अनुमति के विदेश भ्रमण किये जाने पर शासन द्वारा उन्हे निलम्बित किया गया। उनके (श्री सेठी) द्वारा निलम्बन के विरूद्ध मा0 उच्च न्यायालय में एक रिट याचिका दायर की गई, जिसमें उनके द्वारा कहा गया कि उनके नियुक्ति प्राधिकारी निदेशक, खेल है। उनके द्वारा रिट याचिका में यह भी बिन्दु उठाया गया कि मा0 खेल मंत्री जी द्वारा उन्हे विदेश जाने की अनुमति दी गई थी (परन्तु मा0 खेल मंत्री जी का लिखित अनुमोदन किसी कागजात या पत्रावली पर उपलब्ध नही है) मा0 उच्च न्यायालय के सामने वे यह कहकर गये थे कि वे मात्र कीड़ाधिकारी है । (लेकिन श्री सेठी द्वारा अपने पत्रो में जो शासन आदि को पत्र लिखते है उनमें क्षेत्रीय कीड़ाधिकारी लिखते है)। मा0 उच्च न्यायालय ने उनके पक्ष में यह आदेश पारित किया था कि अग्रिम आदेशो तक निलम्बन आदेश को स्थगित किया जाये।

2– तद्नुसार निलम्बन आदेश स्थगित कर दिया गया था। मा0 उच्च न्यायालय ने जांच प्रकरण में अग्रिम आदेश पर रोक नही लगायी थी है ।

3– श्री सेठी के द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि वे उच्च न्यायालय में लम्बित रिट वापस ले रहे है और प्रकरण में शासन , कृपया अनुशासात्मक कार्यवाही में निर्णय लेवे।

4–श्री सेठी के उक्त निलम्बन के संबंध में, मा0 उच्च न्यायालय के आदेशो के परिपेक्ष्य में पूरे प्रकरण के पुनः परीक्षण के आदेश मा0 खेल मंत्री जी द्वारा दिये गये, जिसमें पुनः परीक्षण एवं उनके विभागीय कार्यवाही में प्राप्त उत्तर 25.6.2010 पर विचारोपरान्त श्री अजय कुमार सेठी, कीड़ाधिकारी आगरा को परिनिन्दा (लघु दण्ड की श्रेणी में आती है) प्रविष्टि देते हुए उनके विरूद्ध चल रही प्रशासनिक कार्यवाही समाप्त करते हुए (निलम्बन आदेश और विभागीय कार्यवाही समाप्त करते हुए) उन्हे पुनः कीड़ाधिकारी, आगरा के पद पर बहाल किये जाने का निर्णय लिया गया है।

.....2/-

5– श्री अजय कुमार सेठी, कीड़ाधिकारी आगरा को निम्न "परिनिन्दा" दण्ड, की एक प्रति, उनको सेवा पुस्तिका में रखने संबंधी शीघ्र कार्यवाही कृत कार्यवाही से शासन को अवगत कराने का कष्ट करें। " श्री अजय कुमार सेठ कीड़ाधिकारी आगरा के द्वारा कलैण्डर वर्ष 2009 में स्कूल गेम फेडरेशन आफ इण्डि भोपाल के माध्यम से दिनांक 7–12–2009 से 12–12–2009 तक, भारतीय जिम्नास्टिक टीम के साथ, "दोहा" की यात्रा की जबकि उनके भ्रमण पर, इस सम्बन्ध में प्राप्त प्रस्ताव पर, शासन से औपचारिक आदेश दिनांक 7–12–2009 तक पारित नही हो सके थे। श्री सेठी के अनुसार भ्रमण का समस्त व्यय भारत सरकार द्वारा वहन किया गया है और उनकी इन 5 दिवसो की अनुपस्थिति में, आगरा में खेल कार्य ,किसी भी प्रकार से कुप्रभावित नही हुआ। शासन उनके द्वारा बिना औपचारिक स्वीकृति के उपरोक्त भ्रमण किये जाने की निन्दा करती है "।

6– शासन स्तर पर यह भी निर्णय हुआ है कि श्री सेठी कीड़ाधिकारी मात्र है ऐसे में आगरा में यथा समय, आर0एस0ओ0 तैनात किये जाये। चूंकि इस दिशा में भी आवश्यक प्रस्ताव/ कार्यवाही निवेदित है।

भवदीय

(डा0 ललित वर्मा)
प्रमुख सचिव।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आ0 कार्य हेतु

1. निजी सचिव, मा0 खेल मंत्री
2. सम्बन्धित अधिकारी,
3. सम्बन्धित अधिकारी की पत्रावली
4. गार्ड फाईल

25/8/2010
(डॉ0 ललित वर्मा)
प्रमुख सचिव
खेलकूद एवं युवा कल्याण विभाग,
उ0 प्र0 शासन।

G.O.-2010